

अनुमंडल कार्यालय, कटिहार

विज्ञापन संख्या:- 01/आ०/2026

उचित मूल्य की दुकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति निर्गत/करने हेतु आम सूचना

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में निहित प्रावधानों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 1222, दिनांक 08.03.2017 परिपत्र संख्या 1571, दिनांक 28.03.2017 में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 14396, दिनांक 10.09.2024 के द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में निर्गत दिशा निर्देश तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), आदेश 2016 के भाग-2 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कटिहार जिला के कटिहार अनुमंडल अन्तर्गत कुल-47 रिक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार उचित मूल्य की दुकान हेतु नई अनुज्ञप्ति निर्गत की जानी है, जिसके लिये सुयोग्य व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्रखंड/पंचायतवार आरक्षण कोटिवार जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की रिक्ति का विवरण निम्नवत है :-

अनुमंडल कटिहार

कुल रिक्त पद		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनारक्षित	
47		02		00		00		00			05		40	
अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला		अन्य	महिला	अन्य	महिला
31	16	02	00	00	00	00	00	00	00	03	02	26	14	

प्रखंड	नगर निगम/ नगर पंचायत/ पंचायत	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पिछड़े वर्गों की महिलायें	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनारक्षित		कुल		
		अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला		अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	कुल
कटिहार (ग्रामीण क्षेत्र)	कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	गरभेली	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
	दलन पश्चिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0	1
कटिहार (शहरी)	वार्ड नं०-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	1
	वार्ड नं०-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
	वार्ड नं०-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	1
	वार्ड नं०-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	1
	वार्ड नं०-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0	1
	वार्ड नं०-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	1	1
	वार्ड नं०-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं०-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2

प्रखंड	नगर निगम/ नगर पंचायत/ पंचायत	अनु0 जाति		अनु0ज0 जाति		अत्यन्त पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पिछड़े वर्गों की महिलायें	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनारक्षित		कुल		
		अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला		अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	कुल
कोड़ा	उत्तर सिमरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
	खेरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	दक्षिण सिमरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	0	2	2
	पवई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	मकदमपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	मधुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1
	महिनाथपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	महेशपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	मुसापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1
	विषहरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
कोड़ा नगर पंचायत	वार्ड नं0-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	वार्ड नं0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1
	वार्ड नं0-7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	0	1
	वार्ड नं0-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
फलका	भरसिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	मधेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1
	मोरसण्डा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	रहटा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
	सोहथा दक्षिण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
मनसाही	चितौरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
	फुलहरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1
	भेरमारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	1
	मरंगी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
समेली	मलहरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1
हसनगंज	कालसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2
सर्व योग :-		2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	26	14	31	16	47

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या					
रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्प्राण को	स्वपरायणता, बौद्धिकदिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता एवं बहुदिव्यांगता को	कुल
855-901	00	00	01	01	02

❖ सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक 2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्यता होने के कारण 01 (एक) पद देय होगा।

नोट :- i- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 04 प्रतिशत देय होगा।

ii- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार पद क्षैतिज आरक्षण 02 प्रतिशत देय होगा।

- iii- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-11/2015/सा०प्र० 2342, पटना-15, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- iv- यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।

1. पात्रता एवं शर्तें :-

- i- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
उक्त के आलोक में सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्रांक 2733 दिनांक 02.06.2026 द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि -
 - 1. शैक्षणिक योग्यता में Qualification को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - 2. Qualification में समानता होने पर अधिक प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
 - 3. Qualification एवं प्राप्तांक में समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ii- उम्र- दिनांक 01.08.2026 को आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- iii- आवेदक द्वारा समर्पित किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए।
- iv- उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रूप में होगी :-
 - (क) स्वयं सहायता समूह।
 - (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ।
 - (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ।
 - (घ) शिक्षित बेरोजगार।
 - (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :-

- i- एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
- ii- मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्य काल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
- iii- आटा-चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- iv- अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- v- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

- vi- सरकार में लाभ के पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

3. चयन की प्रक्रिया :-

- i- अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।
- ii- तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय सूचनापट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जायेगा।
- iii- दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि-सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभियुक्ति कारण सहित अंकित की जायेगी। तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा चयन की प्रक्रिया की जायेगी।
- iv- अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे।
- v- वैसे सभी मामले में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, वैसे मामलों में जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किंतु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।
- vi- जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

4. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- i- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार) को अपना आवेदन पत्र मात्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय को भेजा जा सकेगा। संबंधित ईच्छुक व्यक्ति अनुसूची-1 में तथा स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ अनुसूची-2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे।
- ii- अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा सूची के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
- iii- स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।
- iv- आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है।
- v- अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
(अधिक जानकारी हेतु- "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" की सहायता ली जा सकेगी)।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण पत्र :-

(क) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये :-

- i- आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जिसमें से एक स्वअभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।
- ii- सभी शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- iii- अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- iv- यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पैतृक स्थान के अंचल कार्यालय से निर्गत होना अनिवार्य है। आवेदक के महिला होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम अंकित होना चाहिए।
- v- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में संक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- vi- दुकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है, तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति। अगर किराया का है तो किरायानामा (Deed of lease) से संबंधित एकरारनामा (Agreement) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- vii- आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि:-
 - (a) आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।
 - (b) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।
 - (c) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
 - (d) आवेदक सरकारी लाभ/सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है।
 - (e) आवेदक अथवा उनके निकट संबंधियों के पास आटा-चक्की नहीं है।
 - (f) आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य नहीं है।
 - (g) आवेदक/आवेदिका आवेदन पत्र में प्रखंड/नगर पंचायत/पंचायत/नगर पंचायत के वार्ड संख्या का उल्लेख करते हुए किस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, इसका स्पष्ट उल्लेख करेंगे।

(ख) स्वयं सहायता समूह के लिये :-

- i- समूह का गठन न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।
- ii- निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।
- iii- स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- iv- स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।
- v- आरक्षण का दावा हो, तो प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

6. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :-

पूर्ण रुपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 10.08.2026 से 31.08.2026 तक मात्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के निम्न पते पर आवेदन स्वीकार किये जायेगे, जो निम्नवत है :-

1. अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, कटिहार बिहार, 854109

किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि (दिनांक-31.08.2026 के अपराहन 05:00 बजे) के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र पर निम्नांकित विवरण निश्चित रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है :-

- ❖ उचित मूल्य की दूकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन (अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 संलग्न)
- ❖ विज्ञापन संख्या -
- ❖ प्रखंड एवं पंचायत का नाम-
- ❖ आरक्षित श्रेणी जिसके लिये आवेदन समर्पित किया जा रहा है-

7. आवेदक द्वारा दिये गये गलत अथवा भ्रामक सूचना के आधार पर चयन होने की स्थिति में उन्हें निर्गत अनुज्ञप्ति को नियमानुसार रद्द करने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

31/07/26
अनुज्ञापन पदाधिकारी
-सह-
अनुमंडल पदाधिकारी,
कटिहार।